न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
09 / 2019	02 / 04 / 2019	21 / 04 / 2025

1. मुकेश
2. सत्यनारायण
3. धर्मवीर
4. हैमन्त पुत्रान श्री मथुरालाल जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा हाल निवास फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

– वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र काल्या
2. गुलाब
3. परमा
4. मंगली
5. द्वारक्या पुत्रिया श्री काल्या जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा
6. बद्रीलाल पुत्र काल्या मृतक के कायम मुकामान

6/1. रामनिवास
6/2. रामदयाल
6/3. तोलाराम
6/4. चन्द्रभान पुत्रान बद्रीलाल जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा

7. प्रभू पुत्र चतरा
8. नन्द किशोर पुत्र चतरा
9. हुकमचन्द पुत्र चतरा
10. गायत्री पुत्री चतरा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री श्याम बैरवा एड0।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री लेखराज धाकड एड0।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट
निर्णय दिनांक–21/04/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके माल ग्राम गणेशपुरा पटवार मण्डल लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 की खाता संख्या 45 की खसरा नं. 388 रकबा 0.77 है०, खसरा नं. 389 रकबा 1.23 है०, खसरा नं. 390 रकबा 0.99 है० कूल की 3 कूल रकबा 2.99 है0 कृषि आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 6/1 ता 6/4, प्रतिवादी 7 ता 10 के दादा व प्रतिवादीक्रम 1 ता 5 के पिता काल्या पुत्र शंकर जाति भील साकिंन गणेशपुरा के खाते राजस्व रिकार्ड दर्ज है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 में दर्ज नामान्तरण संख्या 276 दिनांक 12/12/2001 से खातेदार मृतक काल्या पुत्र शंकर के स्थान पर उसके वारिसान वादीगण के पिता मथुरा प्रतिवादीगण 1 ता 5 तथा प्रतिवादीगण 6/1 ता 6/4 के पिता व प्रतिवादीक्रम 7 ता 10 का नाम जरिऐं फौती नामान्तरण संख्या 276 से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया गया। यह

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

कि तहसीलदार सी.ए.डी कोटा द्वारा वर्ष 2004–05 में ग्राम गणेशपुरा की वाद पत्र मे वर्णित कृषि आराजी खसरा 388, 389, 390 किता 3 कूल रकबा 2.99 है० का केचमेन्ट करते हुऐं सी.ए.डी कोटा द्वारा बाद सर्वेक्षण उक्त वर्णित भूमि के नवीन खसरा नं. 1003 का रकबा 2.78 है0 कायम किया गया। यह कि प्रतिवादी कम 11 व उसके अधिनस्थ राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी विधिक कार्यवाही के, बिना किसी अधिकारीता के अपने कार्य क्षेत्र से परे जाकर नवीन जमाबन्दी सम्वत् 2057–60 बनाते समय व राजस्व रिकार्ड मे पूर्व के खातेदारन का नाम अमल दरामद करते समय वादीगण के पिता का नाम वाद पत्र मे वर्णित कृषि आराजी से विलोपित कर दिया गया जिसका प्रतिवादी कम 11 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों को विधिक अधिकार प्राप्त नही था जबकि वादी मृतक खातेदार मथुरा के विधिक वारिसान होने के कारण वाद पत्र मे वर्णित आराजी मे अपने पिता मथुरा के स्थान पर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने का विधिक अधिकार प्राप्त है। वादीगण का खाते में नाम दर्ज करने से मना करने पर वाद कारण दिनांक 27.3.19 को ग्राम इटावा मे ग्राम इटावा में उत्पन्न हुआ है। यह कि संयुक्त खातेदार कस्तुरी बैवा चतरा फौत हो जाने के कारण वाद पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है। यह कि राजस्थान सरकार को वाद पत्र मे पक्षकार बनाया गया है जिसको वाद पूर्व धारा 80 सी.पी.सी के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यत है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण समय अभाव के कारण नोटिस दिया जाना सम्भव नही इसलिए वाद स्वीकृत हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। जो संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि वाके माल ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लुहावद तहसील पीपल्दा की खसरा नं. 1003 रकबा 2.78 है० का खाता दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि मे वादीगण मुकेश, सत्यनारायण, धर्मवीर, हेमन्त पुत्रान मथुरा जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा हाल निवास फूसोद तहसील पीपल्दा को 1/8 हिस्सा का, प्रतिवादीगण बाबूलाल पुत्र, परमा, मंगली, द्वारक्या, गुलाब पुत्रिया काल्या जाति भील निवासीगण गणेशपुरा को 5/8 हिस्से का तथा प्रतिवादी 6 के कायम मुकामान 6/1 ता 6/4 रामनिवास, रामदयाल, तोलाराम, चन्द्रभान पुत्रान बद्रीलाल जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादीगण 7 ता 10 – प्रभू, नन्दकिशोर, हुकुमचन्द पुत्रान गायत्री पुत्री चतरा जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी की ओर से वाद श्री श्याम बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादीकम 1 ता 10 मय अधिवक्ता उप0 हुए। प्रतिवादीकम 1 ता 10 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी 2057–60 व नकल जमाबन्दी कम्प्यूटर प्रदर्श 1 ग्राम गणेशपुरा, पर्चा भू मापक कार्यालय भू–अभिलेख अधिशाषी मय तहसीलदार, सी0ए0डी0 पीपल्दा प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2061–64 ग्राम गणेशपुरा पदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्बत 2065–68 ग्राम गणेशपुरा प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्बत 2069–72 ग्राम गणेशपुरा पदर्श 5, नकल

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

जमाबन्दी सम्वत 2073–76 ग्राम गणेशपुरा पदर्श 6, नक्शा ट्रैस खसरा नं0 1003 ग्राम गणेशपुरा पदर्श 7, नकल खसरा गिरदावरी खसरा नं0 1003 ग्राम गणेशपुरा पदर्श 8, पत्र दिनांक 20.1.2015 ग्राम पंचायत लुहावद प्रदर्श 8, मृत्यु प्रमाण पत्र मथुरालाल पदर्श 9, आधार कार्ड मथुरालाल प्रदर्श 11, पहचान पत्र मथुरालाल पदर्श 12, आधार कार्ड मुकेश प्रदर्श 13, आधार कार्ड सत्यनारायण पदर्श 14, है। वकील वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पी0डब्ल्यू0 1 मुकेश पुत्र मथुरालाल, पी0 डब्ल्यू 2 सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल, पी0डब्ल्यू0 3 बैजनाथ पुत्र पन्नालाल की साक्ष्य पेश किए गए। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

क्रियात्मक आदेश

वकील वादी उप0 है। बहस सुनी गई। पत्रावली में मौजूद दस्तावेज व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अवलोकन व मनन करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रतिवादीगण द्वारा दिए गए सहमति के जवाब के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका लुहावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित कृषि आराजी खसरा नं0 1003 रकबा 2.78है0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.78है0 का राजस्व रिकॉर्ड का सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाता है तथा सम्पूर्ण आराजी में वादीगण– मुकेश, सत्यनारायण, धर्मवीर, हेमन्त पुत्रान मथुरालाल जातियान भील प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम 1 बाबूलाल पुत्र काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीकम 2 गुलाब पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीकम 3 परमा पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीकम 4 मंगली पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीकम 5 द्वारक्या पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीकम 6 बद्रीलाल पुत्र काल्या मृतक के कायम मुकामान– रामनिवास पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, रामदयाल पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, तौलाराम पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, चन्द्रभान पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, कलावती पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, चमेलीबाई पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, सीमा पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, राजाबाई पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, किशकन्धा पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा तथा प्रतिवादीकम 7 प्रभू पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीकम 8 नन्दकिशोर पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीकम 9 हुकमचन्द पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, गायत्री पुत्री चतरा का 1/40 हिस्सा, कस्तुरी पत्नि चतरा का 1/40 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जावे।

Ramniwas

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज0)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
09/2019	02/04/2019	21/04/2025

1. मुकेश
2. सत्यनारायण
3. धर्मवीर
4. हैमन्त पुत्रान श्री मथुरालाल जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा हाल निवास फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज०

— वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र काल्या
2. गुलाब
3. परमा
4. मंगली
5. द्वारक्या पुत्रिया श्री काल्या जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा
6. बद्रीलाल पुत्र काल्या मृतक के कायम मुकामान

6/1. रामनिवास

6/2. रामदयाल

6/3. तोलाराम

6/4. चन्द्रभान पुत्रान बद्रीलाल जातियान भील निवासीगण गणेशपुरा

7. प्रभू पुत्र चतरा
8. नन्द किशोर पुत्र चतरा
9. हुकमचन्द पुत्र चतरा
10. गायत्री पुत्री चतरा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पीपल्दा जिला कोटा

— प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री श्याम बैरवा एड०।
प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– श्री लेखराज धाकड एड०।

वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक–21/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री श्याम बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार हलका लुहावद तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० में स्थित कृषि आराजी खसरा नं० 1003 रकबा 2.78है०, कुल किता 1 कुल रकबा 2.78है० का राजस्व रिकॉर्ड का सम्पूर्ण खाता दुरूस्त किया जाता है तथा सम्पूर्ण आराजी में वादीगण– मुकेश, सत्यनारायण, धर्मवीर, हेमन्त पुत्रान मथुरालाल जातियान

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

भील प्रत्येक का 1/32–1/32 हिस्सा तथा प्रतिवादीक्रम 1 बाबूलाल पुत्र काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 2 गुलाब पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 3 परमा पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 4 मंगली पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 5 द्वारक्या पुत्री काल्या का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 6 बद्रीलाल पुत्र काल्या मृतक के कायम मुकामान– रामनिवास पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, रामदयाल पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, तौलाराम पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, चन्द्रभान पुत्र बद्री का 1/72 हिस्सा, कलावती पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, चमेलीबाई पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, सीमा पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, राजाबाई पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा, किशकन्धा पुत्री बद्री का 1/72 हिस्सा तथा प्रतिवादीक्रम 7 प्रभू पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 8 नन्दकिशोर पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादीक्रम 9 हुकमचन्द पुत्र चतरा का 1/40 हिस्सा, गायत्री पुत्री चतरा का 1/40 हिस्सा, कस्तुरी पत्नि चतरा का 1/40 हिस्सा का खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 21/4/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Ramniwas

सहायक कलक्टर

इटावा जिला कोटा (राज0)